कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रंमाक–145/REG./दुर्ग/दिनांक 01.04.2002

//दैनिक ठेका श्रमिक नियोजन हेतु निविदा फार्म//

वर्ष 2026–27

ई–निविदा क्रं. 197852 दिनांक 17/11/2026

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क– 1000/–रू.

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)
ई–निविदा प्रपत्र
(भाग–I)

ई–निविदा क्रमांक/197852/2026–27 **दिनांक 17/11/2026**

कारखाने के पेराई सत्र 2026–27 हेतु **दैनिक ठेका श्रमिक नियोजन** के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम : श्री/मेसर्स
2. पता :

3. ई–निविदा हेतु इच्छुक फर्मो /निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई–टेण्डर के वेबसाईट में जाकर ई–निविदा हेतु फार्म राशि 1311/– रू. (1000/–रू. + 311/–रू. चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (**E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in**) से फार्म Upload किया जाना है।
4. ई–निविदा फार्म दिनांक **27/10/2026 समय रात्रि 08.00 बजे से 17/11/2026** को संपूर्ण वांछित एवं सत्यापित दस्तावेजों के साथ प्रातः 10:00 बजे तक शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (**E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in**) **मे अपलोड कर सकते है।**
5. ई–निविदा दिनांक **17/11/2026 को प्रातः 11:00 बजे** पश्चात् क्रय समिति/निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
6. ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई.एम.डी. हेतु राशि रूपये 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) कारखाने के खाते में RTGS के माध्यम से खाता क्रमांक **31360100006799**, IFSC Code- **BARB0BALODX** बैंक ऑफ बडौदा बालोद में **दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद** के नाम से जमा करना होगा। RTGS/NEFT के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नही होने पर आपकी निविदा निरस्त मानी जाएगी।

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित–बालोद

निविदाकार/फर्म द्वारा ईएमडी राशि जमा करने संबंधित दी जाने वाली जानकारीः–

1. ट्रांसफर/यूटीआर नं.....
2. राशि हस्तांतरण तिथि.....
3. बैंक का नाम जिसके द्वारा राशि हस्तांतरित किया गया है
4. जिन निविदाकारों/फर्मो द्वारा गत वर्षो में अमानत राशि (ई.एम.डी.) जमा की गई हो तो संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें अथवा संस्था द्वारा प्रदाय अमानत राशि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)
ई–निविदा प्रपत्र
भाग–II

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

ई–निविदा क्रमांक / 197852 / 2026–27 **दिनांक 17 / 11 / 2026**

कारखाने के पेराई सत्र 2026–27 हेतु **दैनिक ठेका श्रमिक नियोजन** के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा हेतु कार्य करने के इच्छुक निविदाकार / फर्म निविदा में भाग लेने के लिए **http://eproc.cgstate.gov.in/** पर निविदाओं की अन्य सभी शर्त और योग्यता के लिए मानदंड आदि को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है। जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

1. निविदाकार / फर्म का नाम :–
2. पता :–

3. मोबाइल नंबर :–
4. ई–मेल आई.डी. :–
5. जी.एस.टी. :–
 (छायाप्रति अपलोड करें)
6. पेन नं. :–
 (छायाप्रति अपलोड करें)
7. आयकर रिटर्न (गत 02 वित्तीय वर्ष):–
 2024–25
 2025–26
8. गत वर्ष का टर्न ओव्हर :–
 (2.00 करोड़ से अधिक का)
9. लेबर लाईसेंस क्रमांक (जीवित):–
 (छायाप्रति अपलोड करें)
9. भविष्य निधि खाता क्रमांक (जीवित):–.....
 (छायाप्रति अपलोड करें)
10. अनुभव (02 वर्ष) :–
 (छायाप्रति अपलोड करें)
11. सत्यनिष्ठ वचन पत्र:–
 (अपलोड करें)

उक्त सभी दस्तावेजों एवं संपूर्ण निविदा फार्म को निविदाकार/फर्म द्वारा अपलोड (जमा) किए जाने पर ही तकनीकी भाग पूर्ण माना जावेगा अन्यथा की स्थिति में फर्म का व्यावसायिक भाग नही खोला जावेगा।

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक–197852/DMSKM/P-O-/BALOD **दिनांक– 17/11/2026**

सत्यनिष्ठ वचन

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/कार्य आदेश निरस्त कर सकती है एवं मैं/फर्म का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में नही है। उक्त जानकारी गलत होने पर कारखाना प्रबंधन को मुझे/फर्म को निविदा से अपात्र करने का अधिकार होगा। शक्कर कारखाना द्वारा निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दिनांक

नाम.....

पता.....

.....

फर्म का मुहर

अनुबंध की नियम एवं शर्तें–

1. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफा में जमा करना अनिवार्य है। ई.एम.डी. संबंधी बिड–एक, तकनीकी बिड–दो एवं व्यावसायिक बिड–तीन ।
2. निविदाकार को तकनीकी बिड–दो के साथ जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नंबर की छायाप्रति, आयकर रिटर्न, लेबर लाईसेंस की छायाप्रति (जीवित), भविष्य निधि खाता क्रमांक की छायाप्रति (जीवित), अनुभव (02वर्ष) की छायाप्रति, एवं वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. ई–निविदा व्यावसायिक बिड–3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. कारखाने से संबंधित कार्य का दर जी.एस.टी रहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना द्वारा जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
5. यदि कोई फर्म संस्था में पूर्व से कार्यरत है अर्थात् अपनी सामग्री व सेवा संस्था में प्रदाय करता है तो संस्था द्वारा भुगतान किए गए सम्पूर्ण देयकों (बिल) का जीएसटी इनपुट क्रेडिट संस्था को प्राप्त न हुआ हो तो जीएसटी रिटर्न संबंधी शर्तों के अनुपालन में चुक करने, मानकर निविदा में अपात्र किया जावेगा एवं भविष्य में कालीसूची में शामिल भी किया जा सकता है।
6. निविदाकार को छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में शामिल होने पर निविदा में अपात्र किया जाएगा। निविदाकार को उक्त संबंध में निविदा फार्म में नीचे दर्शित सत्यनिष्ठ वचन को भरकर हस्ताक्षर व मुहर सहित जमा करना अनिवार्य होगा।
7. जी.एस.टी. के अतिरिक्त अन्य कर का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
8. नियमानुसार टेक्स आदि की कटौती की जावेगी।
9. निविदाकार द्वारा गत दो वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 का आयकर रिटर्न जमा (अपलोड) करना अनिवार्य है।
10. निविदाकार को फर्म के गत वर्ष का टर्न ओव्हर जमा (अपलोड) करना अनिवार्य है। जो राशि रुपये 2.00 करोड़ से अधिक का होना चाहिए।
11. निविदाकार को कार्य आदेश के साथ संस्था द्वारा जारी फार्म–V प्राप्त कर 07 दिवस के भीतर श्रम विभाग से नियमानुसार लाइसेंस (प्रमाण पत्र) प्राप्त कर एवं अनुबंध पत्र कारखाना कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
12. ठेकेदार को पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण पत्र, लेबर लाईसेंस एवं पूर्व के एक वर्ष का रिटर्न (ECR/Challan) की प्रति जमा करना अनिवार्य है।
13. ठेकेदार को प्रतिमाह उनके कार्य का भुगतान गत माह के पी.एफ. की कापी (ECR & Challan) देने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।
14. न्यूनतम वेतन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, भविष्य निधि नियम एवं इस सेवा से संबंधित अन्य समस्त नियमों एवं अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान/पालन करना अनिवार्य होगा।
16. वित्त मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली के ज्ञापन क्रं. 29(1)/2014–PPD नई दिल्ली, दिनांक 28.01.2014 के आधार पर किसी भी निविदाकार के द्वारा कमीशन निल (NIL) नही किया जाना है एवं कर कटौतियों को ध्यान में रखते हुए ही कमीशन का न्यूनतम दर प्रस्तुत

किया जाना है। साथ ही वित्तीय भाग में यदि नियमानुसार कमीशन दर प्रस्तुत नहीं किया गया तो निविदा में ऐसे फर्म को अपात्र किया जायेगा।

17. निविदा में एल–1 (न्यूनतम) दर को मान्य किया जावेगा। एक से अधिक निविदाकारों का एल–1 (न्यूनतम) दर प्राप्त होने की स्थिति में एल–1 (न्यूनतम) दर प्रस्तुत करने वाले फर्मों के गत वर्ष 2025–26 के टर्न ओव्हर के आधार पर अधिक टर्न ओव्हर वाले फर्म को मान्य किया जावेगा।
18. फर्म/ठेकदार को कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करना होगा। लापरवाही/अनुशासन का पालन नही किये जाने पर कार्य से पृथक किया जावेगा।
19. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं अन्य समस्त संबंधित अधिनियमों का पालन करना होगा।
20. फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
21. कार्यादेश प्राप्त होते ही ठेकेदार को सभी श्रमिकों के सुरक्षा हेतु जुते व हेल्मेट प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
22. संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में किसी भी समय कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
23. पेराई सीजन खत्म होने पर कार्य स्वतः समाप्त माना जावेगा, एवं कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण न करने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जावेगा।
24. निविदाकार/फर्म का निविदा अवधि में कार्य संतोषजनक होने पर क्रय कमेटी के आदेशानुसार कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
25. कारखाना प्रबंधन उपर्युक्त के अलावा भी संस्था/श्रमिकों के हित में नियम/शर्ते लागू कर सकेगा, जो ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य होगा।
26. निविदा के नियमों व शर्तो एवं दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की शिथिलता करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन एवं क्रय कमेटी का होगा, जिसका निविदाकारों को पालन करना अनिवार्य होगा।
27. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना प्रबंधन(कमेटी) का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
28. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
29. फर्म या ठेकेदार द्वारा संस्था को जो भी श्रमिक उपलब्ध कराये जायेंगे, उनके द्वारा किसी भी प्रकार के हड़ताल/अनुशासनहीनता नहीं की जायेगी। इस प्रकार का शपथ पत्र अनुबंध के समय कारखाना प्रबंधन को देना अनिवार्य है।
30. श्रमिक ठेकेदार को श्रमिक ठेकेदारी अन्य स्थान पर किया गया कार्य श्रमिक नियोजन को दो वर्ष का कम से कम अनुभव हैं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
31. अनुबंध रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर में करना होगा।
32. कार्यालय भविष्य निधी छ.ग. रायपुर में जमा की गई ई.पी.एफ. चालान की फोटो कॉपी प्रतिमाह भुगतान से पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

कारखाना द्वारा उपरोक्तानुसार आमंत्रित निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़/समझ लिया है, जो मुझे मान्य है। अतः इस निविदा की व्यावसायिक भाग में मेरे द्वारा दर प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

दिनांक.....

निविदाकार का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

प्रबंधन/क्रय कमेटी का अधिकार

01. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/नेगोशिएसन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
02. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय कमेटी की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नही होगा।
03. निविदा में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों में किसी भी बिंदु को आवश्यकतानुसार विलोपित अथवा कोई नया शर्त जोड़ने का अधिकार होगा।
04. निविदा में श्रमिकों की संख्या एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा।
05. आवश्यकता अनुसार निविदा में न्यूनतम दर प्राप्त फर्म के अतिरिक्त किसी अन्य फर्मों से भी कार्य करवाने का एकाधिकार होगा।
06. पूर्व में संस्था में कार्यरत फर्म यदि निविदा में भाग लेते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में प्रदाय सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए संबंधित फर्म का निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा। जिसके लिए फर्म को संस्था द्वारा लिखित सूचना जारी करना आवश्यक नही होगा।

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)
ई–निविदा प्रपत्र
भाग–III

Main Portal: **http://eproc.cgstate.gov.in**

ई–निविदा क्रमांक / 197852 / 2026–27 **दिनांक 17 / 11 / 2026**

कारखाने के पेराई सत्र 2026–27 हेतु **दैनिक ठेका श्रमिक नियोजन** के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका व्यावसायिक भाग में विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Description/Specification/Labour	Unit	Rate
1	Dailywages Labour (Requirment in Crusing seson 200-250 & Off Seson 80-100)	Percentage	

(नोटः–व्यावसायिक भाग– III को निविदा फार्म के साथ तकनीकी भाग में अपलोड न करें।)

निविदाकार का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

S.No.	Department	SOR	Year	Itam Code	Description/Specification / Labour	Unit	Rate	Qty Req.	Amount
1	DMSSK	NS	2026	1	Dailywages Labour (Requirment in Crusing seson 200-250 & Off Seson 80-100)	Percentage		1	